कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला– गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्यांक / निरीक्षण / /2014–15 तारीख 31/12/2014.

प्रबन्धक,

रैनेसान्स एकेडमी

बैजनाथपुर, बालापार रोड, चरगांवा, गोरखपुर

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके तारीख **29.08.2014** के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै **रैनेसान्स एकेडमी, बैजनाथपुर, बालापार रोड, चरगांवा, गोरखपुर** को तारीख **01.07.2014** से तारीख **30.06.2017** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू0हा0स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं)** के लिए **अंग्रेजी माध्यम** की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा,

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना,

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें,

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 130680 वर्गफीट
- कुल निर्मित क्षेत्र – **20888 वर्गफीट**
- क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – **109792** वर्गफीट उपलब्ध है।
- कक्षाओं की संख्या – **10 उपलब्ध है।**
- प्राध्यापक–सह– कार्यालय–सह– भंडागार के लिए कक्ष– **उपलब्ध है।**
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **6+3+4=13 उपलब्ध है।**
- पेयजल सुविधा – **साधारण हैण्ड पम्प, इण्डिया मार्का, बोरिंग नल उपलब्ध है**
- मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई– उपलब्ध
- वाधारहित पहुँच – **उपलब्ध है।**
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करें/पुस्तकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है।

9–विद्यालय की परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं कों किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **C/142/2014** है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करे।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16–सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17–मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(कमलाकर पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर 3/12/2014

पृ०सं०– संख्याक/निरीक्षण/ 8005-06 /2014–15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)सप्तम मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–गोरखपुर

पत्रांक / मान्यता 717 / 2023–24 दिनांक– 2-अगस्त, 2023

प्रबन्धक

रेनैसान्स एकेडमी

बैजनाथपुर, बालापार रोड,

चरगाँवा, गोरखपुर

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 26 जुलाई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें। उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 419 / 79–6–2023–18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग–06 दिनांक 08 मई, 2013 के अनुपालन में सूच्य है कि "मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर वह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

रेनैसान्स एकेडमी, बैजनाथपुर, बालापार रोड, चरगाँवा, गोरखपुर के संदर्भ में कार्यालय को मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है, अतः रेनैसान्स एकेडमी, बैजनाथपुर, बालापार रोड, चरगाँवा, गोरखपुर की मान्यता स्थायी की जाती है।

कृपया उक्तवत अवगत होने का कष्ट करें।

(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा0प0नि0/ 5654 /2021-22/लखनऊ दिनांक: 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,
(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0/ /2021-22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट-एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager